शिवराम		
17/1/18	वकील प्रार्थी उपस्थित सामिक आदेश दिनांक 11/8/16 की पालना में पत्रावली वास्ते नस्ती दिनांक 20/2/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
20/2/18	बकुलाय केरीकेन उप०/P.O. पाहव उपखण्ड अधि० पत्रावली दिनांक 30/4/18 को पेश हो।	
30/4/18	प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित लोक अदालत/फैमिली कोर्ट में रखने योग्य पाया जाता है। अतः पत्रावली लोक अदालत में पंचायत मुख्यालय मथुराहेड़ा पर दिनांक 7/6/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
7/6/18	लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई वकील प्रार्थी व प्रतिपक्षी ~~सरकार~~ उपस्थित। समझौता दरख्वास्त पेश करना नहीं चाहते। बहस सुनी गयी प्रकरण के तथ्य एवं विधि का मद्देनजर अवलोकन स्थानीय जांच प्रार्थी के पक्ष में गुणावगुण होता है। अतः लोक प्रार्थी आवेदन निरस्त खारिज किया जाता है। नस्ती अभिलेख [illegible]	Comp 1919 25/5/